

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 3 OF 2025**

IN THE MATTER OF:

Bhishm Tyagi

...Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

...Respondents

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit On Behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in Pursuance to the order dated 20.03.2025	1-3
2.	Annexure-R4/1 A true copy of Show Cause Notice dated 06.05.2025	4-6
3.	Annexure- R4/2 A true copy of inspection dated 05.05.2025 with photograph	7-9

THROUGH

DATE: 08.05.2025

PLACE: NEW DELHI



**STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR RESPONDENT
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 3 OF 2025
IN THE MATTER OF:**

Bhishm Tyagi

.....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

.....Respondent(s)

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD IN PURSUANCE TO THE
ORDER DATED 20.03.2025 PASSED BY THIS HON'BLE
TRIBUNAL**

I, Umesh Chandra Shukla, aged about 53 years, S/o Sri Pannalal Shukla presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Bijnor do hereby solemnly affirm and state as under:


1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 20.03.2025 has observed as follows:

".....1. In compliance of order dated 24.01.2025, Joint Committee report dated 18.03.2025 has been filed by CPCB vide email dated 18.03.2025.

2. Learned counsel for respondents seek adjournment for filing of the replies/responses.

3. Replies/responses by the respondents may be filed at least one week before the next date of hearing fixed."

3. That in compliance with the earlier order passed by Hon'ble Tribunal vide order dated 24-01-2025 the joint committee has conducted the joint inspection on 07-03-2025.
4. That considering the report of joint committee and observations and recommendations made in the joint committee report, UPPCB vide letter dated 06-05-2025 has issued Show Cause Notice under section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended, for closure of the unit and also notice for imposing Environmental Compensation of Rs. 32,832 per day for non-compliance of SOP for waste tyres recycling issued by CPCB. A true copy of Show Cause Notice dated 06-05-2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure-R4/1**.
5. That officials of Regional Office, UPPCB, Bijnor have conducted the latest inspection of the unit on 05-05-2025. During inspection it was found that the shed of the unit was damaged and the representative of the unit Mr. Sachin Tyagi informed that certain calamitous events took place on the intervening night of 18/19.04.2025 and the areas surrounding the recycling plant, as also the large parts of District Bijnor as also other part of the State of Uttar Pradesh were hit by a severe thunderstorm accompanied by strong high velocity winds. During the said storm, the entire recycling plant was devastated and substantially extensive damage was caused thereby.
6. That during the above inspection dated 05-05-2025 it was found that the unit has replaced the old damaged stack with a new stack with height of 30 meter from ground level. The black carbon which was mixed with the soil in the agricultural field as mentioned in the joint inspection report dated 07-03-2025. During



the latest inspection dated 05-05-2025 no black carbon was found in the agricultural fields and the crop of sugar cane was found in the nearby agricultural fields of the unit. However, in some part of the agricultural field there was black coloured soil appeared. A true copy of inspection dated 05-05-2025 with photograph is being annexed herewith and marked as **Annexure-R4/2**.


- 7. That the present Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and consideration.


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at By no......on this 7th day of May, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.


DEPONENT



Sworn before me on this 7 day of the May 2025
 by Umesh Chandra Shukla
 who has been identified by S. Shashi Asthana
 who is personally known to me Advocate
 whose signature (S) is/are here it appended.


 Gajendra Pal Singh
 NOTARY,
 BINOR-246701 (U.P.)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या

12789 / C-7 / विवेक-716 / 25

दिनांक

6/5/25

सेवा में,

मै0 देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम-जमालुद्दीनपुर, तहसील-चौदपुर,
जिला-बिजनौर।

पंजीकृत

Annexure-R04/1.

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 एवं 20.03.2025 के क्रम में इकाई पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के क्रम में इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीनपुर, तहसील-चौदपुर, जिला-बिजनौर का संयुक्त निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तहसीलदार, तहसील-चौदपुर, जिला बिजनौर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 17.03.2025 को किया गया।

यह कि उक्त संयुक्त निरीक्षण में समिति द्वारा पाया गया कि आपके उद्योग द्वारा टॉयर पेरोलिस्सि हेतु Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2022 के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया है आपकी इकाई में स्थापित रियेक्टर की चिमनी मात्र 21 मीटर पर पायी गयी जबकि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल एवं वायु में चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर तक किया जाना निर्देशित है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0-CP-22/31/2024-WM-III-HO-CPCB-HO दिनांक 03.09.2024 द्वारा वेस्ट टायर की रिसाइक्लिंग किये जाने वाले इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गाइडलाइन जारी की गयी है। उक्त गाइडलाइन के अन्तर्गत EC Regime 2 जिसके अन्तर्गत ई0पी0आर0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नानुसार किया जाना प्राविधानित है :-

iii. For Recyclers and Retreaders the registration fee on the EPR Portal is Rs. 15000.0 and Rs. 10,000.0 respectively. So taking Rs. 12,500 as an average, the EC to Recyclers and Retreaders are as below:

For 1st Default – Rs. 12,500.0

For 2nd Default – Rs. Two times of first default i.e. Rs. 12,500.0 x 2=Rs. 25,000.0

For 3rd Default - Two times of second default i.e. Rs. 25,000 x 2=Rs. 50,000.0

B. For informal/illegalSale/Storage/Transportaion/Retreading/Recycling of Waste Tyre by any non-registered entity/person/shop/entity, EC Regime 2 will by applicable and the EC will be as below:

EC = Rs. 12,500.0 + Quantity of Waste Tyre Seized x Rs 8.40 per Kg of seized waste Tyre

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 के साथ आप द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार माह सितम्बर, 2024 से अप्रैल, 2025 तक आपकी इकाई में औसतन दैनिक टायर की खपत 2,392 कि0ग्रा0/दिन है जिसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक माह सितम्बर, 2024 से अप्रैल, 2025 तक EC=12,500 + 2392 X 8.5 = Rs. 32832/per day (Rs. Thirty Two Thousand Eight Hundered Thirty Two Only) आंकलित होती है।

.....कृ०पृ०उ०

यह कि संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 17.03.2025 में निम्नानुसार सुझाव एवं टिप्पणी की गयी है :-

- A. To upgrade its Unit to Advanced Batch Automated Technology Process (ABAP) as per CPCB SOP dated 16.01.2024 for "Recycling of Waste scrap for the recovery of Tyre Pyrolysis Oil, Pyro Gas and Char in Tyre Pyrolysis Oil (TPO) Units" and provide below mentioned features:
- Automatic control systems such as Programmed Logic Control (PLC) for measurement and control of temperature and pressure along with safety inter-locks in case of increase of temperature or pressure to cut off heating of the reactor.
 - Sensors along with alarm system at all the transfer points throughout the plant to detect any leakage of flammable vapours from the system.
 - Bypass arrangement for pyro gas from reactor door to primary condenser.
 - vi. Fire detectors, sprinklers and fire hydrant with necessary pumping system and water storage should be provided in the process area, product and raw material storage area,
 - v. Provision for suction hoods over the gate of reactor and char bagging area,
 - vi. Water sprinkler system, and
 - vii. Mechanized arrangement for removal of char and steel scrap and arrangement of Nitrogen gas (N) purging to address environmental and safety concerns.
- B. To increase the height of its stack upto 30 meters as per Consolidated Consent & Authorisation.
- C. To develop green belt across its periphery. The green belt may not be less than 5% of the total area of the plot in line with CPCB SOP.
- D. To provide concrete flooring for storage of Raw Material & End Products as required under CPCB SOP.
- E. To register under CPCB online Waste Tyre EPR Portal as per the provisions stipulated under schedule-IX of the Hazardous & Other Waste (M&TM) Amendment Rules, 2022 for Utilization & Management of Waste Tyre.
- F. To remove the spillage of carbon black immediately from the agricultural land of complainant.
- G. To obtain permission for Change in Land Use from concerned department.

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी की अनुमति से आपके इकाई मै० देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुददीनपुर, तहसील-चौदपुर, जिला-बिजनौर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए सपठित 21(4) के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

- यह कि क्यो न इकाई मै० देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुददीनपुर, तहसील-चौदपुर, जिला-बिजनौर के पक्ष में बोर्ड के पत्र सं०-188470/यूपीपीसीबी/बिजनौर (यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/बोध/बिजनौर/2023 दिनांक 25.07.2023 द्वारा निर्गत सशर्त

✓

सहमति जल एवं वायु को खण्डित करते हुए इकाई के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये की इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीनपुर, तहसील-चौदपुर, जिला-बिजनौर को मिलने वाले जल एवं बिजली की समस्त सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए।
3. यह कि इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीनपुर, तहसील-चौदपुर, जिला-बिजनौर द्वारा संयुक्त समिति द्वारा दिये गये सुझाव एवं टिप्पणी के दृष्टिगत ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए उक्त समस्त संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार समस्या के समाधान किये जाने तक रू0 32,832/(रू0 बत्तीस हाजर आठ सौ बत्तीस मात्र) प्रतिदिन की दर से क्यों न आपकी इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीनपुर, तहसील-चौदपुर, जिला-बिजनौर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार आपकी इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बन्दी आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई के स्वामी का होगा।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, बिजनौर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में इकाई का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7




इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीनपुर, तहसील-चाँदपुर, जिला-बिजनौर के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीनपुर, तहसील-चाँदपुर, जिला-बिजनौर का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक-05.05.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि श्री सचिन त्यागी उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-


1. इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में रबर स्क्रैप/वेस्ट रबर/वेस्ट टायर-06 मीट्रिक टन/दिन का प्रयोग कर फर्नेस आयल 2.5 टन/दिन, कार्बन ब्लैक 2.5 टन/दिन तथा स्टील वायर 200 किग्रा/दिन का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन बन्द पाया गया।
2. इकाई द्वारा जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में शीतलन हेतु किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। उद्योग में वाशिंग प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 05 किली/दिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयन्त्र स्थापित है, जिसकी इकाईयाँ क्रमशः कलेक्शन टैंक, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, कोगुलेशन एवं फ्लोकुलेशन टैंक, ट्यूब सेटलर, फिल्टर फीड टैंक, मल्टी ग्रेड फिल्टर, एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज ड्राईंग बेड्स हैं।
3. इकाई में स्थापित दो फर्नेस से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी की भूतल से ऊँचाई लगभग 30 मीटर है। उक्त फर्नेस पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में वेट स्कबर स्थापित है। फर्नेस में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।
4. इकाई में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 62.5 के0वी0ए0 एवं 15 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0सेट्स स्थापित हैं। निरीक्षण के समय डी0जी0सेट से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानको के अनुरूप पायी गयी।
5. उक्त इकाई को इस कार्यालय द्वारा निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन सन्दर्भ सं0-188470/यूपीपीसीबी/बिजनौर(यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/बोथ/बिजनौर/2023 दिनांक - 25.07.23 द्वारा सशर्त सी0टी0ओ0 निर्गत की गयी थी, जिसकी वैधता अवधि दिनांक-31.07.2028 तक है।
6. निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आँधी-तूफान/तेज हवा आने के कारण इकाई में स्थापित चिमनी टूट गयी थी तथा इकाई का कवर्ड शेड क्षतिग्रस्त हो गया था। निरीक्षण के समय इकाई में पूर्व से स्थापित चिमनी के स्थान पर नयी चिमनी की स्थापना कर ली गयी है तथा चिमनी पर सीढी, प्लेटफॉर्म एवं पोर्ट हॉल की व्यवस्था स्थापित पायी गयी। इकाई में कवर्ड शेड का पुनः निर्माण का कार्य होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय उक्त इकाई के सन्निकट स्थित खेत में गन्ने की फसल लगी हुयी पायी गयी तथा बाउण्ड्रीवाल के निकट खेत के कुछ भाग में हल्के काले रंग की मिट्टी परिलक्षित हुयी। निरीक्षण के समय खींचे गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।


उपरोक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(सुबाष चन्द्र गौतम)
जे0आर0एफ0


(एस0के0त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक


सहायक/अभियन्ता/क्षेत्रीय अधिकारी


05-05-25


05/05/25

LEO F, Sir

इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीनपुर, तहसील-चाँदपुर, जिला-बिजनौर के निरीक्षण दिनांक-05.05.2025 के समय खींचे गये फोटोग्राफ्स :-



इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीनपुर, तहसील-चाँदपुर, जिला-बिजनौर के सन्निकट स्थित खेत के निरीक्षण दिनांक-05.05.2025 के समय खींचे गये फोटोग्राफ्स।

